(भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, तारीख : 2016

अधिसूचना

सा.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेडी हार्डिंग चिकित्सा महाविद्यालय एवं श्री मति सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग चिकित्सा महाविद्यालय एवं श्री मति सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में नैदानिक मनोवैज्ञानिक समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2016 है |

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे |

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान - पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं |

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि - भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं |

4. निरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी |

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके **तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके** इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी |

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है|

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु -सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नैदानिक मनोवैज्ञानिक	1* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित , अननुसचिवीय	वेतन बैंड-4 , रू0 15600-39100 + ग्रेड वेतन 6600 रू0	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।

विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसमें अल्प कालिक संविदा सम्मिलित है	केन्द्रीय सरकारों या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी/स्वशासी संस्थानों के अधिकारी (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3 रू0 15600-39100 + ग्रेड वेतन रू0 5400 या समतुल्य में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की हो, या (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखता हो: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला में स्नातकोत्तर अथवा विज्ञान में स्नातकोत्तर। (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर (नैदानिक मनोविज्ञान) एवं चिकित्सा व समाज मनोविज्ञान में दो वर्षीय डिप्लोमा। (iii) शैक्षिक योग्यता पूरी करने के पश्चात मान्यता प्राप्त अस्पताल या संस्थान में नैदानिक मनोविज्ञान का तीन वर्ष का अनुभव। **वांछनीय** मनोविज्ञान में पीएचडी के साथ नैदानिक व शोध अध्यापन का अनुभव

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(फा0 सं0 ए. 12018/17/2001- आरआर)

(संजय पंत)

अवर सचिव, भारत सरकार